

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवार्य, उत्तराखण्ड

जनपद-

पत्रांक संख्या- 07/2025-26

दिनांक- 18/5/2025

स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र।

01. आवेदक का नाम- गुरु सिंह
 02. पिता/पति का नाम- वीर प्रताप सिंह
 03. पदनाम- निष्क्रिय सार्वजनिक
 04. नियुक्ति का प्रकार- स्थायी
 05. वर्तमान तैनाती का स्थान- श. आ. नि. कालिकाधार, पोड़ा गांव
 06. वर्तमान तैनाती की तिथि- 24.02.2024
 07. पूर्व में तैनात कार्यालयों का विवरण-

क्र. सं.	तैनाती का स्थान	तैनाती की अवधि	दुर्गम/अति दुर्गम/सुगम	टिप्पणी
1.	श. आ. नि.	1 वर्ष	3 माह	दुर्गम
2.	कालिकाधार			
3.	पोड़ा गांव			
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

08. श्रेणी जिसमें स्थानान्तरण चाहते हैं- (कोई भी एक विकल्प चुनें)

- ☐ सुगम से दुर्गम
☒ अनुरोध
☐ दुर्गम से सुगम
☐ स्थानान्तरण से छूट
☐ स्थानान्तरण नहीं चाहते हैं (केवल दुर्गम में तैनात कार्मिकों हेतु)

09. स्थानान्तरण से छूट चाहने वाले कार्मिक (साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य) -

- ☐ वरिष्ठ कार्मिक
☐ दुर्गम में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण
☐ गंभीर रोगग्रस्त/विकलांग कार्मिक
☐ पुत्र/पुत्री की विकलांगता
☐ अर्धसैनिक/सैनिक में तैनात कार्मिकों के पति/पत्नी

10. अनुरोध उप श्रेणी (साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य) -

- ☐ गंभीर रोग
☐ मानसिक रूप से विकसित बच्चों के माता-पिता
☐ पुत्र/पुत्री की विकलांगता
☐ उत्तराखण्ड सरकार में कार्यरत पति-पत्नी
☐ विधुर/विधवा/
☐ तलाकशुदा/वरिष्ठ कार्मिक
- ☒ दुर्गम से दुर्गम
☐ सुगम से दुर्गम

11. स्थानान्तरण के 10 विकल्प-

क्र.सं.	चिकित्सालय का नाम	श्रेणी (सुगम/दुर्गम)
1	आयुष्मान् आश्रम मंदिर सतभारवाल, पौड़ी	दुर्गम
2	आयुष्मान् आश्रम मंदिर, बाड़ा, पौड़ी	दुर्गम
3	श. आ. नि. जगदीश खाल, पौड़ी	दुर्गम
4	श. आ. नि. जगदीश खाल, पौड़ी	दुर्गम
5	जिला चिकित्सालय मंडिल, आयुष विंग, पौड़ी	दुर्गम
6	जिला चिकित्सालय, आयुष विंग, पुरम पौड़ी	दुर्गम
7	श. आ. नि. पौड़ी मुख्यालय, पौड़ी	दुर्गम
8	श. एन. नि. आयुष विंग, जगदीश, पौड़ी	दुर्गम
9		
10		

12. संलग्न साक्ष्यों की पृष्ठ संख्या- 17
(साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य है)

(नोट- ऐसे वरिष्ठ चिकित्साधिकारी जो जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी पद का प्रभार लिये जाने के इच्छुक नहीं हैं, अनिवार्य रूप से वेबसाइट में उपलब्ध घोषणापत्र भी हस्ताक्षरित कर जमा करेंगे।)

हस्ताक्षर-
नाम-
पदनाम-

Ritu Singh
डॉ. रितु सिंह
चिकित्साधिकारी